सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बारां (राज.)

प्रकरण संख्या :– 52/2017

बउनवान

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबड़ा जिला बारां

(अपीलांट)

बनाम

श्रीलाल पुत्र अमरलाल जाति चमार निवासी बीलखेड़ा तहसील छबड़ा हाल हानीहेड़ा तहसील अटरू जिला बारां

(रेस्पोडेन्ट)

अपील विरूद्ध इन्तकाल नंबर 661 वाके ग्राम बीलखेड़ा

उपस्थित :– 1– पेरोकार सरकार **(अपीलांट)**
2– श्री हेमराज बैरवा एडवोकेट **(रेस्पोडेन्ट)**

निर्णय दिनांक 21.06.2018

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम बीलखेड़ा का नामांतरकरण संख्या 661 निर्णय दिनांक 23.01.2013 केम्प में खोला जाकर तस्दीक किया गया है जिससे ग्राम बीलखेड़ा की जमाबन्दी संवत 2069–72 खाता संख्या 170 में खातेदार श्रीलाल पुत्र अमरलाल कोम चमार के स्थान पर प्रभूलाल, रामलाल, हीरालाल, गोपाल पुत्रगण पारवती पुत्री व गुलाब बाई बेवा का नाम दर्ज हुआ। उक्त वारिसान श्रीलाल पुत्र अमरलाल कोम चमार के न होकर श्रीलाल पुत्र नाथू जाति बैरवा साकिन बीलखेड़ा के हैं। इस प्रकार सहवन से उक्त नामान्तरकरण खाता संख्या 171 में दर्ज नहीं कर खाता संख्या 170 में दर्ज कर दिया गया है। तथा जिस खाते में नामान्तरकरण दर्ज हुआ वह खातेदार श्रीलाल पुत्र अमरलाल कोम चमार जीवित है। अतः नामान्तरकरण संख्या 661 निरस्त फरमाया जाना न्यायहित में आवश्यक होने से खारिज फरमाया जावे।

अपील पेश होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय से मूल नामान्तरकरण तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से जर्ये अभिभाषक जवाब नोटिस इस आशय का पेश किया कि रेस्पोडेन्ट के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात वाके ग्राम बीलखेड़ा में खसरा नंबर 39 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा स्थित है। परन्तु पटवारी हल्का द्वारा श्रीलाल पुत्र नाथू जाति बैरवा निवासी बीलखेड़ा की मृत्यु हो जाने के कारण उसके वारिसान प्रभूलाल, रामलाल, हीरालाल, गोपाल पुत्रगण, पार्वती पुत्री एवं गुलाब बाई बेवा श्रीलाल द्वारा एक शपथ पत्र दिनांक 07.10.2016 को अपने पिता/पति श्रीलाल की मृत्यु हो जाने से मृतक के खाते की आराजीयात खसरा नंबर 55 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नंबर 94 रकबा 1 बीघा कुल 3 बीघा 13 बिस्वा पर इन्तकाल खोलने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया

था। परन्तु पटवारी हल्का द्वारा रेस्पोडेन्ट के खातेदारी की आराजीयात पर इन्तकाल नंबर 661 दिनांक 23.01.2013 गलत दर्ज कर दिया गया है जो खारिज होने योग्य है।

मूल नामान्तरकरण प्राप्त होने पर हमने बहस उभयपक्ष पेरोकार सरकार एवं विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट की सुनी। दौराने बहस पेरोकार सरकार ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि सहवन से प्रशासन गांव के संग अभियान 2013 में मृतक श्रीलाल पुत्र नाथूलाल कोम बैरवा के स्थान पर श्रीलाल पुत्र अमरलाल कोम चमार की आराजीयात पर मृतक के वारिसान के खाते नामान्तरकरण संख्या 661 खुलकर स्वीकार हो चुका है तथा इसका अमल भी जमाबन्दी में हो चुका है। अधीनस्थ न्यायालय को जानकारी होने पर उक्त अपील प्रस्तुत की गई है जो स्वीकार की जाकर दुरूस्ती करवाया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

दौराने बहस अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि राजस्व कर्मियों को मृतक श्रीलाल पुत्र नाथूलाल कोम बैरवा की आराजीयात पर नामान्तरकरण खोलना था जो कि श्रीलाल पुत्र अमरलाल जाति चमार की आराजीयात पर खोला जाकर तस्दीक किया गया है जबकि श्रीलाल पुत्र अमरलाल जाति चमार वर्तमान में जीवित है। अतः जीवित व्यक्ति की आराजीयात पर सहवन से खोला गया इन्तकाल निरस्त फरमाया जावे।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। तथा इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रशासन गांव के संग अभियान 2013 में मजमे आम में प्राप्त जानकारी अनुसार नामान्तरकरण संख्या 661 वाके ग्राम बीलखेड़ा खोला जाकर निर्णित किया गया है। जिसे निरस्त किया जाना हम न्यायोचित समझते हैं।

अतः अपील स्वीकार की जाकर ग्राम बीलखेड़ा का नामान्तरकरण संख्या 661 दिनांक 23.01.2013 निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 21.06.2018 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(वासुदेव मालावत)
अति0 जिला कलक्टर बारां